



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1946।

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2015/भाद्र 23, 1937

No. 1946।

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2015/BHADRA 23, 1937

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2015

का.आ. 2483(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838, (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा जिन्हें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 1756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 और सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014 द्वारा संशोधित किया गया था, के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क संशोधित किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के 8.000 कि.मी. से 103.000 कि.मी. तक आगरा—ग्वालियर राजस्थान के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु तथा ग्वालियर बाइपास सेक्षन के 0.000 कि.मी. (रासा-3 का वर्तमान सेक्षन के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु तथा ग्वालियर बाइपास सेक्षन के 0.000 कि.मी. (रासा-3 का वर्तमान 16 कि.मी.) से 32.607 कि.मी. पर टोल प्लाजा के 103.000 कि.मी. (रासा-75 का विद्यमान 16 कि.मी.) से 42.033 कि.मी. (रासा-75 का विद्यमान 16 कि.मी.) तक के लिए 32.607 कि.मी. पर टोल प्लाजा के 103.000 कि.मी. (रासा-75 का विद्यमान 16 कि.मी.) से 42.033 कि.मी. (रासा-75 का विद्यमान 16 कि.मी.) तक के लिए अधिसूचना का.आ. 3319 (अ) तारीख 30.12.2014 द्वारा प्रचालन हेतु शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने के लिए अधिसूचना का.आ. 3319 (अ) तारीख 30.12.2014 द्वारा मैसर्स आगरा—ग्वालियर पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत किया था;

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 1756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 और सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014 द्वारा संशोधित किया गया था, के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 3319 (अ) तारीख 30.12.2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधित करती है,

टिप्पणियों का पैरा 2 निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास, जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लम्बाई हेतु, ऊपर सारणी-1 में निम्नलिखित आधार दर के 150% के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवरथान (डिजाइन चैनेज)	डिजाइन चैनेज			बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क सदेय है	कुल लागत (करोड़ रुपए में)
	बाइपास का नाम	प्रारम्भ होकर मिलते हुए			
मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर जिले में मेहरा गांव के पास 32.607 कि.मी. (विद्यमान 32.607 कि.मी.)	ग्वालियर बाइपास	0.000 (रासा-3 का विद्यमान 103.000 कि.मी.)	42.033 (रासा-75 का विद्यमान 16 कि.मी.)	41.606 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	300.93
कुल				41.606	

[फा.सं. भाराराप्रा / सीओ / 14-15 / आगरा-ग्वालियर (8.00-103.00) एवं ग्वालियर बाइपास / ओएमटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2015

S.O. 2483(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 1756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013 and G.S.R. 26(E) dated 16.01.2014, the Central Government, vide notification S.O. 3319(E) dated 30.12.2014, authorized M/s Agra-Gwalior Pathways Private Limited to collect and retain the fee for Operation and Maintenance of Agra-Gwalior section from km 8.000 to km 103.000 of NH-3 & Operation of toll plaza at km 32.607 for Gwalior Bypass section from km 0.000 (existing km 103.000 of NH-3) to km 42.033 (existing km 16 of NH-75) in the States of Uttar Pradesh, Rajasthan & Madhya Pradesh on Operation, Maintenance & Transfer (OMT) basis;

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 1756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013 and G.S.R. 26(E) dated 16.01.2014, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. 3319(E) dated 30.12.2014.

The para 2 of notes shall be substituted as follows:

“2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing Rs. 10 crore or more, at the following Toll Plaza, at 150% times the base rate mentioned in Table-I above for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Total Cost (Rs. in crore)
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at		
At km 32.607 (existing km 32.607), near Village Mehra in District Gwalior in the State of MP.	Gwalior Bypass	0.000 (existing km 103.000 of NH-3)	42.033 (existing km 16 of NH-75)	41.606 (Excluding structures >60m length)	300.93
Total				41.606	

[F. No. NHAI/ CO / 14-15/Agra-Gwalior (8.00-103.00) & Gwalior Bypass/OMT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.